**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

64(9)
24/6/2019

**अधिसूचना**

सं0सं09/आ0–4–4/2016 /स्वा0/पटना,दिनांक /डा0 गायत्री कुमारी, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, चकाई, जमुई के विरूद्ध दिनांक 09.02.2012 को सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई में योगदान के उपरांत दिनांक 10.02.2012 से 02.09.2012 तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने तथा 03.09.2012 को योगदान के उपरांत कर्तव्य पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0 288(9) दिनांक 14.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया, किंतु यह अंकित किया गया कि पति की मृत्यु के कारण डा0 कुमारी मानसिक रूप से परेशान थी।

3. विभागीय पत्रांक 64(9) दिनांक 16.01.2017 द्वारा पूछे गए कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर में डा0 कुमारी ने उल्लेख किया कि पति की मृत्यु के उपरांत पदस्थापन हेतु दिए गए विकल्प वाले जिलों में पदस्थापन नहीं कर नक्सली क्षेत्र में इनका पदस्थापन कर दिया गया। वह मानसिक रूप से काफी परेशान थी।

4. आरोप, अधिगम एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि डा0 गायत्री कुमारी के पति की मृत्यु दिनांक 10.06.06 को हुई थी, इसलिए इसकी वजह से इसके छः वर्ष उपरांत डा0 कुमारी की अनधिकृत अनुपस्थिति को Justify नहीं किया जा सकता। अस्तु सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 गायत्री कुमारी के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है:–

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक।

(ख) दिनांक 10.02.2012 से 02.09.2012 तक की अवधि को असाधारण अवकाश जो पेंशन प्रदायी नहीं होगी के रूप में विनियमित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24/06/19
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 64(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 24/6/2019

**प्रतिलिपिः**– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– क्षेत्रीय अपर– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– डा0 गायत्री कुमारी, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, चकाई, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/06/19
सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx